न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), सोनभद्र।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–98/2018,

राज्य **बनाम** मनीष यादव वगैरह।

धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम।

थाना–राबर्टसगंज, जिला सोनभद्र।

25.01.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 10–ख पर आदेश हेतु नियत है। पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 10–ख पर सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र 10–ख प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इकबाल व राजू यादव की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–227/239 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि :–

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा मनगढ़न्त एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर पंजीकृत कराया गया है। विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर भी आरोप पत्र में प्रेषित धाराओं का कोई अपराध किया गया नहीं पाया जाता है। विवेचना के दौरान तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कौन सा जाति सूचक शब्द प्रयोग किया गया, वादी द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है। घटना स्थल वादी एवं मुल्जिम संख्या–1 का आवासीय हिस्सा है, लोक स्थान नहीं है। विवेचना में गवाहानों के बयान विरोधाभाषी है। पर्चा संख्या–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोप पत्र में प्रदर्शित अपराध का होना कत्तई नहीं पाया जाता। फिर भी विवेचक द्वारा दूषित ढंग से आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है। उक्त आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उपरोक्त मुकदमें में आरोप मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र 10–ख के विरूद्ध विद्वान विशेष लोक अभियोजक अधिकारी द्वारा आपत्ति 13–ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र उन्मोचन गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। वादी मुकदमा मनीष कुमार को अनुसूचित जाति का जानते हुये उसे बेइज्जत करने के आशय से अभियुक्तगण द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली गुप्ता दिया गया तथा उसकी बहन कु0 मधू के साथ भी गन्दी फब्तियॉ कसते हुये वादी मुकदमा के साथ मार– पीट किये हैं। जो गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसतथ्य को तमाम साक्ष्य, चिकित्सीय आख्या, वादी एवं गवाहों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों से साबित पाकर ही विवेचक ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है। उक्त आधार पर उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 28.05.2017 की रात करीब 11:30 बजे मनीष यादव, वादी मुकदमा की बहन कु0 मधू को अश्लील शब्द बोल रहा था। मना करने पर मनीष अपने पिता राजू यादव व अपने मित्र बलराम नाथ गोस्वामी व इकबाल को लेकर वादी मुकदमा के घर में घुस कर प्रार्थी/वादी मुकदमा व उसके परिवार को जाति सूचक शब्दों का गाली दिये व लात घूसा से मारे। जिससे प्रार्थी व उसके माता–पिता व बहन को चोटें आयी। स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि मनीष यादव आदि ने किस जाति सूचक शब्दों का गाली प्रार्थी/वादी मुकदमा व उसके परिवार वालों को दिया था। दौरान विवेचना विवेचक ने केस डायरी के पर्चा संख्या–1 दिनांकित 16.07.2017 में धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वादी मुकदमा मनीष कुमार का बयान अंकित किया है। जिसके बयान में लिखा है कि दिनांक 28.05.2017 को रात करीब 11:30 बजे जमीन की रंजिश को लेकर हमारे पड़ोसी मनीष पुत्र राजू यादव नाराज रहते हैं। मनीष यादव मेरी बहन कु0 मधू को अश्लील शब्द बोल रहा था। उसके मना करने पर मनीष अपने पिता राजू तथा अपने मित्र बलराम नाथ गोस्वामी व इकबाल को लेकर मेरे घर में घुस कर मुझे जाति सूचक गाली देते हुये लात मुक्का से सभी लोग बुरी तरह मारे–पीटे तथा मेरी मॉ व बहन मधू बचाने आयी तो उन लोगों को ढकेल दिये। उन लोगों को भी चोट आयी तथा मुझे काफी चोट आयी थी। मैं अपनी चोटों का डाक्टरी

मुआयना कराया था। इसी प्रकार केस डायरी के पर्चा संख्या–1 में ही गवाह के रूप में राज कुमारी का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–161 के तहत अंकित किया गया है। जिसने अपने बयान में वादी मुकदमा मनीष कुमार के बयान का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–1 में ही गवाह के रूप में कु0 क्षमा का बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता विवेचक ने अंकित किया है। जिसके बयान में लिखा है कि मैंतथा मेरे परिवार के लोग अपने घर में खाना खा–पी कर सोने जा रहे थे। काफी गर्मी थी। मेरी छोटी बहन मकान के पिछले हिस्से के पास वाले कमरे में दरवाजे के पास बैठी थी। मेरे पड़ोसी मनीष यादव मेरी बहन को देख कर अश्लील शब्द बोल रहा था। वहीं पर मेरा भाई भी सुन गया तो उसे अश्लील शब्द बोलने से मना किया। इसी बात पर मनीष कुमार, राजू यादव, बलरामनाथ गोस्वामी तथा इकबाल अंसारी जो मनीष के दोस्त हैं मेरे घर में घुस आये और मेरे भाई मनीष कुमार को लात मुक्का से मारने लगे। मेरी बहन मधू व मॉ बचाने गयी तो उन लोगों को ढकेल दिये। वे लोग गिर गयी और चोट लग गयी तथा जाति सूचक शब्दों पनिका, नीच साले, भोसड़ी वाले यहॉ रहने नहीं देंगे की गाली देने लगे। जाति सूचक शब्द **पनिका, नीच साले, भोसड़ी वाले** की गाली देने की बात न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है और न ही वादी मुकदमा मनीष कुमार व गवाह राज कुमारी के बयान में आया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–239 के अनुसार——

अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा।

यदि धारा–173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की ऐसी परीक्षा, यदि कोई हो, जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण लेखबद्ध करेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–240 के अनुसार——

आरोप विरचित करना।

1– यदि ऐसे विचार, परीक्षा व यदि कोई हो, और सुनवाई कर लेने पर मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दण्डित किया जा सकता है तो वह अभियुक्त के विरूद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा।

2– तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनया और समझाया जाएगा और उससे यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया है, दोषी होने का अभिवाक् करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है।

दौरान विवेचना विवेचक ने केस डायरी के पर्चा संख्या–4 दिनांकित 23.08.2017 में स्वतंत्र गवाह के रूप में शकील अहमद का बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रकिया संहिता अंकित किया गया है। जिसके बयान में लिखा है कि राजू यादव और मनीष कुमार पनिका के बीच थोड़ी जमीन है। दोनों आदमी के पिछवाड़ा की जमीन है। वह जमीन किसी के नाम से नहीं है, ग्राम समाज की जमीन है। उसी जमीन में राजू यादव दो ट्राली मिट्टी गिराये थे। उसी जमीन पर मनीष पनिका अपना बॉस बल्ली बॉध कर टीनशेड डालना चाह रहे थे। रात करीब 09–10 बजे उसी बॉस बल्ली बॉधने को लेकर दोनो तरफ से वाद–विवाद हुआ था। केस डायरी के पर्चा संख्या–4 में ही स्वतंत्र गवाह के रूप में राम दुलारे का बयान विवेचक द्वारा धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किया गया है। जिसके बयान में लिखा है कि दिनांक 28.05.2017 को मैं घर पर ही था। मुहल्ले में रात करीब 10:00 बजे हल्ला शोर सुन कर मौके पर गया तो देखा कि एक पक्ष से राजू यादव का लड़का मनीष तथा इकबाल एवं दूसरे पक्ष से मनीष कुमार पनिका, उनकी मॉ एवं कई लोग आपस में बॉस बल्ली बाधने व मिट्टी डालने की बात को लेकर गाली गलौज कर रहे थे। तबतक राजू यादव और मनीष कुमार पनिका आपस में मार–पीट करने लगे। केस डायरी के पर्चा संख्या–4 में ही विवेचक द्वारा गवाह के रूप में कु0 मधू का बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया है। जिसके बयान में लिखा है कि दिनांक 28.05.2017 को रात करीब 11:30 बजे मैं अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मेरे पड़ोसी मनीष यादव व उसका पिता राजू यादव तथा उसके दोस्त इकबाल व बलराम नाथ

गोस्वामी अश्लील शब्द बोल रहे थे। मना करने पर मेरे भाई मनीष को सभी लोग जाति सूचक गाली गुप्ता धमकी देते हुये मारे–पीटे। करीब 12:00 बजे पुलिस आयी और दोनों पक्षों को थाने ले गयी और चालान कर दिया। इसी प्रकार गवाह के रूप में अजीत कनौजिया का बयान अंकित किया गया है जिसके बयान में लिखा है कि दिनांक 28.05.2017 को राति करीब 11:30 बजे राजूयादव तथा मनीष कुमार पनिका के बीच पिछवाड़े की जमीन में टट्टर बॉधने व मिट्टी पाटने को लेकमर बात–विवाद हो रहा था। केस डायरी के पर्चा संख्या–4 में ही विवेचक द्वारा गवाह के रूप में कु0 डिम्पल का बयान अंकित किया गया है। उसके बयान के अनुसार भी दोनों पक्ष में टट्टर बॉधने को लेकर लड़ाई करने व गाली गुप्ता व धमकी देने की बात लिखी है। केस डायरी के पर्चा संख्या–4 में ही विवेचक द्वारा स्वतंत्र गवाह के रूप में संजय कुमार का बयान अंकित किया गया है जिसके बयान में लिखा है कि दिनांक 28.05.2017 को रात करीब 11–12 बजे राजू यादव व दूसरे पक्ष के मनीष पनिका के बीच टटरा बॉधने व मिट्टी गिराने की बात को लेकर रात में ही गाली गलौज किये थे। इसी प्रकार का कथन स्वतंत्र साक्षी लक्ष्मी प्रसाद तथा दिलीप के बयानों में भी विवेचक द्वारा लिखा गया है।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा जो भी साक्ष्य संकलित किये गये हैं उससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा मनीष कुमार पनिका एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के बीच मार–पीट एवं गाली गलौज आदि हुआ था। यह भी स्पष्ट है कि कु0 क्षमा पुत्री मोती पनिका के बयान को छोड़ कर किसी भी साक्षी के बयान में यह नहीं आया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा एवं उसके परिवार वालों को किस जाति सूचक शब्दों की गाली दी गयी थी। इसी वजह से विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध एस0सी0/एस0टी0 की धारा–3(1)द व 3(1)ध के तहत आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया है।

पत्रावली के सम्यक अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीग्ण/ अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323, 504, 506 एवं एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट की **धारा–3(2)5** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है। जो सहबन लिया जाना प्रतीत होता है। जबकि आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा अभियुक्तगण मनीष यादव, राजू यादव एवं इकबाल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323, 504, 506 एवं एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की धारा– 3(2)5ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

विवेचक द्वारा दौरान विवेचना जो साक्ष्य संकलित किये गये हैं उसके आधार पर अभियुक्तगण मनीष कुमार यादव, राजू यादव एवं इकबाल अहमद के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323, 504,506 एवं एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट की धारा–3(2)5ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के तहत प्रेषित आरोप पत्र निराधार प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय को ऐसी उपधारणा करने का आधार पर्याप्त है कि अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध किया है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323, 504, 506 एवं एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की धारा–3(2)5ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित किये जाने के लिये पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। राजस्थान राज्य बनाम अशोक कुमार कश्यप {2021 (3) जे0आई0सी0 पेज–1} के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ––

"Criminal Procedure Code, 1973, Section 227/239-prevention of Corruption Act 1988,Section-7
At the stage of framing of charge and/or considring the discharge application, the mini trial is not permissible.

जहॉतक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र 10–ख के पैरा–5 में किया गया यह कथन कि विवेचना के दौरान तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कौन सा जाति सूचक शब्द प्रयोग किया गया वादी द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि कु0 क्षमा के बयान को छोड़ कर किसी भी साक्षी के बयान में **कौन सी जाति सूचक शब्द की गाली दी गयी** यह नहीं आया है कि अभियुक्तगण ने कौन सी जाति सूचक

शब्द की गाली दी और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी किसी जाति सूचक शब्द का गाली देने का उल्लेख है।

जाति सूचक शब्दों की गाली देने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न पाये जाने के कारण ही विवेचक द्वारा एस0सी0/एस0टी0 की धारा–3(1)द या 3(1)ध के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलित किये गये उसका संक्षिप्त विचारण (mini trial) नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचना के उपरान्त न्यायालय की राय में प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र 10–ख अन्तर्गत धारा–227/239 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित 22.12.2021 एस0सी0/एस0टी0 की **धारा–3(2)5** के बावत आंशिक रूप से स्वीकार एवं शेष धाराओं के सम्बन्ध में खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इकबाल अहमद व राजू यादव का प्रार्थना पत्र 10–ख अन्तर्गत धारा–227/239 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित 22.12.2021 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इकबाल अहमद व राजू यादव को एस0सी0/ एस0टी0 की **धारा–3(2)5** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से उन्मोचित किया जाता है। शेष भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323, 504, 506 एवं एस0सी0/एस0टी0 की धारा–3(2)5ए के सम्बन्ध में प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र 10–ख अन्तर्गत धारा–227/239 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित 22.12.2021 खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 08.03.2022 को पेश हो।

(अशोक कुमार–XI)
विशेष न्यायाधीश
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), सोनभद्र।